



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्ररूप-26

10AA 476025

(नियम 4क देखिए)

..... 19 रामपुर जिला लखन से निर्वाचन क्षेत्र
से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..... (राजनिक) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र।

में पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु 36 वर्ष, जो 116 वा.सि.स. रामपुर जिला लखन का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सर्वनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये है।

(यदि अभिसज्जी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

[Handwritten signature]

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला या जिले नहीं
राज्य लागू नहीं
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
नहीं
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गये थे लागू नहीं
लागू नहीं



(vi) क्या किसी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/है नहीं

यदि किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिराक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं
लागू नहीं

[Handwritten signature]

- (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं
राज्य लागू नहीं
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं
लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे लागू नहीं
लागू नहीं
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान- देहरादून


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


तारीख- 11-01-2012


सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

दिशान्त स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।




अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

This affidavit is sworn before me by
Shri. Rajendra Singh
who is identified by Shri. Rajendra Singh
at Dehradun on 11-01-2012

(Shri. Rajendra Singh)
Advocate & Notary, Dehradun